

ब्रू शरणार्थी संकट और समझौते का वरिोध

प्रीलमिन्स के लिये

ब्रू शरणार्थी संकट, ब्रू समुदाय की भौगोलिक स्थिति

मेन्स के लिये

नृजातीय संघर्ष से उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा की समस्या

चर्चा में क्यों?

त्रिपुरा के कुछ समूहों ने उत्तर त्रिपुरा ज़िला के कंचनपुर उपखंड में वसिस्थापति ब्रू जनजात के लोगों को स्थाई रूप से बसाने के नरिणय पर आपत्तजिताई जताते हुए उन्हें त्रिपुरा से बाहर करने की मांग की है।

प्रमुख बदि

- इस संबंध में क्षेत्र के दो प्रमुख संगठनों नागरिक सुरक्षा मंच (Nagarik Suraksha Mancha) और मज़िो कन्वेंशन (Mizo Convention) ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बपिलव कुमार देब को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कंचनपुर उपखंड में वसिस्थापतिों को स्थाई रूप से बसाने का वरिोध कया गया है।
 - नागरिक सुरक्षा मंच वर्ष 1947 में वभिजन के पश्चात् पूरवी-पाकसितान से वसिस्थापति बंगालियों का प्रतनिधित्व करता है और मज़िो कन्वेंशन उत्तरी त्रिपुरा की जामपुई पहाड़ी में रहने वाली मज़िो आबादी का प्रतनिधित्व करता है।
- ध्यातव्य है कि लगभग 40,000 से अधिक ब्रू जनजात के लोग उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर और पनीसागर उपखंडों में रह रहे थे। हालाँकि 30 नवंबर, 2019 तक प्रत्यावर्तन (Repatriation) के नौ चरणों के बाद लगभग 7,000 ब्रू शरणार्थी मज़िोरम लौट गए, कतिु शेष ब्रू शरणार्थी अभी भी त्रिपुरा में मौजूदा हैं।
- 16 जनवरी, 2020 को केंद्र सरकार ने ब्रू शरणार्थी संकट (Bru Refugee Crisis) को सदैव के लिये समाप्त करने के उद्देश्य से त्रिपुरा सरकार, मज़िोरम सरकार तथा ब्रू जनजात के प्रतनिधियों के साथ एक चतुरपक्षीय समझौता कया, जिसमें मज़िोरम वापस न जाने वाले ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बसाने की बात की गई थी।

संगठनों की मांग

- संगठनों द्वारा दिये गए ज्ञापन के अनुसार, कंचनपुर उपखंड में ब्रू जनजात के लोगों के आगमन के बाद से इस क्षेत्र वशिषिट में असामाजिक गतविधियों में काफी तेज़ी से वृद्धि हुई है, जिसके कारण इस उपखंड में उनकी स्थाई बसावट उनकी चिता का वषिय है।
- संगठनों के अनुसार, यदि सरकार अपनी पुनर्वास योजना के साथ आगे बढ़ती है तो उपखंड में लॉकडाउन ख़त्म होते ही अनश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन कया जाएगा।
- हालाँकि, दोनों संगठनों ने स्पष्ट कया कि उन्हें त्रिपुरा के 22 अन्य उपखंडों में ब्रू लोगों के पुनर्वास पर कोई आपत्तनिर्ही है।
- संगठन का कहना है कि वे केवल कंचनपुर उपखंड के तहत पाँच स्थानों पर बड़ी संख्या में ब्रू लोगों को बसाने का वरिोध कर रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि और वन संसाधनों की कमी है।

कैसे उत्पन्न हुआ ब्रू शरणार्थी संकट?

- ध्यातव्य है कि मज़िो समुदाय के लोग ब्रू जनजात के लोगों को बाहरी अथवा वदिशी मानते हैं, उनका मानना है कि ब्रू जनजात के लोगों उनके क्षेत्र में आकर अवैध रूप से बस गए हैं। इन दोनों समुदायों के बीच संघर्ष का पुराना इतिहास रहा है।
- वर्ष 1995 में मज़िोरम राज्य में ब्रू समुदाय द्वारा स्वायत्त ज़िला परिषद की मांग और चुनावों में भागीदारी से संबंधित कुछ अन्य मुद्दों पर ब्रू और मज़िो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई।
 - इस तनावपूर्ण स्थिति के पश्चात् 'यंग मज़िो एसोसिएशन' (Young Mizo Association) और 'मज़िो स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (Mizo Students' Association) जैसे संगठनों ने यह मांग की कि ब्रू लोगों के नाम राज्य की मतदाता सूची से हटाए जाए क्योंकि वे मूल रूप से

मज़ोरम के नवासी नहीं हैं।

- इसके पश्चात् ब्रू समुदाय द्वारा समर्थित उग्रवादी समूह 'ब्रू नेशनल लबरेशन फ्रंट' (Bru National Liberation Front-BNLF) तथा एक राजनीतिक संगठन 'ब्रू नेशनल यूनियन' (Bru National Union-BNU) के नेतृत्व में वर्ष 1997 में मज़ो जनजातियों के समूह से हसिक नृजातीय संघर्ष शुरू हुआ।
 - हसिा तब और अधकि तेज़ हो गई जब ब्रू नेशनल लबरेशन फ्रंट (Bru National Liberation Front) के सदस्यों ने एक मज़ो अधिकारी की हत्या कर दी।
- इस घटना के बाद दोनों समुदायों के बीच दंगे भड़क गए और अल्पसंख्यक होने के कारण ब्रू समुदाय को मज़ोरम में अपना घर-बार छोड़कर त्रपुरा के शरणार्थी शिविरों में आश्रय लेना पड़ा।

ब्रू समुदाय के लिये चतुरपक्षीय समझौता

- इसी वर्ष 16 जनवरी को केंद्र सरकार, त्रपुरा सरकार, मज़ोरम सरकार और ब्रू प्रतिनिधियों के मध्य ब्रू शरणार्थियों को लेकर एक चतुरपक्षीय समझौता कया गया, जसमें त्रपुरा में रह रहे शेष ब्रू शरणार्थियों को त्रपुरा में ही बसाने की बात की गई थी।
- केंद्र सरकार ने इस संबंध में 600 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी।
- इस समझौते के तहत वसिथापति ब्रू परिवारों के लिये नमिनलखिति व्यवस्था की गई है-
 - वे सभी ब्रू परिवार जो त्रपुरा में ही बसना चाहते हैं, उनके लिये त्रपुरा में स्थाई तौर पर रहने की व्यवस्था के साथ उन्हें त्रपुरा राज्य के नागरिकों के सभी अधिकार दये जाएंगे। और ये लोग केंद्र सरकार व त्रपुरा राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
 - समझौते के तहत वसिथापति परिवारों को 1200 वर्ग फीट (40X30 फीट) का आवासीय प्लॉट दया जाएगा। साथ ही प्रत्येक वसिथापति परिवार को घर बनाने के लिये 1.5 लाख रुपए की नकद सहायता भी जाएगी।
 - पुनर्वास सहायता के रूप में परिवारों को दो वर्षों तक प्रतिमाह 5 हजार रुपए और नःशुल्क राशन प्रदान कया जाएगा।
 - त्रपुरा राज्य सरकार वसिथापति परिवारों के बैंक खाते, आधार कार्ड, जाति व नवासि प्रमाण पत्र तथा मतदाता पहचान पत्र आदि जरूरी प्रमाण-पत्रों की व्यवस्था करेगी।

ब्रू जनजाति

- ब्रू या रेयांग (Bru or Reang) समुदाय पूर्वोत्तर भारत के मूल नवासी हैं जो मुख्यतः त्रपुरा, मज़ोरम तथा असम में रहते हैं।
- ब्रू जनजाति के लोग पूर्वोत्तर के कई राज्यों में रहते हैं परंतु इस समुदाय की सबसे बड़ी आबादी मज़ोरम के **मामति** और **कोलासबि** जिलों में पाई जाती है। इस समुदाय के अंतर्गत लगभग 12 उपजातियाँ शामिल हैं।
- इस समुदाय के लोग ब्रू भाषा बोलते हैं।

आगे की राह

- ब्रू शरणार्थी संकट को हल करने हेतु वभिन्न पक्षों ने कई प्रयास कये हैं। केंद्र सरकार द्वारा कया गया यह चतुरपक्षीय समझौता भी इन्हीं प्रयासों में से एक है।
- हालाँकि इस समझौते की एक कमी यह है कि इसमें कंचनपुर उपखंड में रहने वाली अन्य जनजातियों (ब्रू के अतिरिक्त) को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं कया गया है, जसके कारण समझौते के वरिद्ध वरिध के स्वर सुनाई दे रहे हैं।
- आवश्यक है कि सरकार इस समझौते पर एक बार पुनः वचिार करे और इसमें वभिन्न संगठनों द्वारा की जा रही मांगों को भी शामिल कया जाए।

स्रोत: द हट्टि